FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरेन्द्र सिंह बनाम लाड कँवर वगै0

किस्म मुकदमा दावा अधा 88 188 आर टी एक्ट — मुकदमा नम्बर 110 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2025	वादी की ओर से श्री विकय सिंह बाकावत, एड0 ने स्वय उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
28-07-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-8-25 को पेश हो।	2919-30/रीडर 08-08-25
09.10.2025	दिनांक 28.08.2025 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी कोई पक्षकारान व वकील वादीया हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व पक्षकारान की अनुपस्थिति के कारण दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested